**भारत सरकार**
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**
**पशुपालन और डेयरी विभाग**
**लोकसभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या-275**
**दिनांक 02 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न**

**कुत्तों द्वारा रैबीज**

**275. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विगत पांच वर्षों के दौरान कुत्तों के काटने से पीड़ित पुरुषों/महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या की जानकारी है;

(ख) कुत्तों के काटने से मरने वाले लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को कोई निधि/अनुदान संस्वीकृत किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**
**(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)**

(क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के तहत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC), रेबीज़ की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रेबीज़ नियंत्रण कार्यक्रम (NRCP) कार्यान्वित करता है। राष्ट्रीय रेबीज़ नियंत्रण कार्यक्रम की कार्यनीतियों में पशुओं के काटने की स्थिति में उपयुक्त प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण, रेबीज़ की रोकथाम और नियंत्रण, निगरानी और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय, पशुओं के काटने की घटनाओं के निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना, पशुओं के काटने के शिकार लोगों के लिए राष्ट्रीय नि:शुल्क औषधि पहल के ज़रिए एंटी-रेबीज़ टीके खरीदने का प्रावधान और जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) क्रियाकलाप शामिल हैं।

इसके अलावा, रेबीज पर प्रभावी नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिलकर 'कुत्तों से फैलने वाले रेबीज के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPRE)' शुरू की है। NAPRE के तहत परिकल्पित क्रियाकलापों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है -

https://rabiesfreeindia.mohfw.gov.in/resources/uploads/PageContentPdf/169391359514.pdf

(ग) कुत्तों की आबादी का प्रबंधन स्थानीय निकायों का कार्य है। केंद्र सरकार ने पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 बनाए हैं। इन नियमों के अनुसार, स्थानीय प्राधिकरणों को पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों के लिए अवसंरचना की स्थापना करने का अधिदेश दिया गया है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार बजट प्रावधान के आधार पर अपेक्षित निधि उपलब्ध कराती हैं।

(घ) भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI) ने उन मान्यताप्राप्त पशु कल्याण संगठनों / गौशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है जो आवारा/घायल/बीमार पशुओं को अपने आश्रय गृह में रख रहे हैं। ये योजनाएं हैं: (क) नियमित और गोपशु बचाव अनुदान (ख) पशुओं की देखभाल के लिए आश्रय गृह योजना, (ग) मुसीबत में फंसे जानवरों को एम्बुलेंस सेवा देने संबंधी स्कीम, (घ) आवारा कुत्तों के जन्म नियंत्रण और प्रतिरक्षण (immunization) संबंधी योजना, (ङ) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पशुओं को राहत देने संबंधी योजना। पिछले 5 वर्षों के दौरान AWO को जारी की गई निधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| | **आश्रय गृह अनुदान** | | **नियमित और गोपशु बचाव अनुदान** | |
|---|---|---|---|---|
| | राशि | पशु कल्याण संगठन (AWO) | राशि | पशु कल्याण संगठन (AWO) |
| **2020-2021** | 1,50,00,000 | 15 | 1,30,00,000 | 182 |
| **2021-2022** | 1,50,00,000 | 16 | 1,99,00,000 | 176 |
| **2022-2023** | 70,03,535 | 7 | 4,45,00,000 | 296 |
| **2023-2024** | 42,22,048 | 4 | 4,08,20,675 | 273 |
| **2024-2025** | 30,24,826 | 3 | 39,98,350 | 28 |
| **कुल** | **4,42,50,409** | **45** | **12,22,19,025** | **955** |

| | **ऐंबुलेंस अनुदान** | | **ABC अनुदान** | | **प्राकृतिक आपदा अनुदान** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | राशि | पशु कल्याण संगठन (AWO) | राशि | पशु कल्याण संगठन (AWO) | राशि | पशु कल्याण संगठन (AWO) |
| **2020-2021** | 49,41,800 | 11 | 2,12,265 | 1 | 2,00,000 | 3 |
| **2021-2022** | 48,56,650 | 11 | 0 | | 0 | |
| **2022-2023** | 48,65,694 | 11 | 0 | | 5,00,000 | 1 |
| **2023-2024** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2024-2025** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **कुल** | **1,46,64,044** | **33** | **2,12,265** | **1** | **7,00,000** | **4** |

**********